2025 का विधेयक सं.16

राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में प्र:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2025 है।
- (2) धारा 2(i) और धारा 5, 1 अप्रेल, 2025 से प्रभावी हुई समझी जायेंगी।
- (3) यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और इस अधिनियम के प्रारंभ के ऐसे किसी उपबंध में के किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश से किया जायेगा।

- 2. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,-
- (i) खण्ड (61) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "इस अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन या

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 13) की धारा 5 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन", 1 अप्रेल 2025 से प्रतिस्थापित की जायेगी।

- (ii) खण्ड (69) में,-
 - (क) उप-खण्ड (ग) में, आयी विद्यमान अभिव्यक्तियों "नगरपालिका या स्थानीय निधि" के स्थान पर "नगरपालिका निधि या स्थानीय निधि" प्रतिस्थापित की जायेगी।
 - (ख) विद्यमान उप-खण्ड (ग) के पश्चात् और विद्यमान उप-खण्ड (घ) से पूर्व, निम्नलिखित नया स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"सपष्टीकरण.- इस उप-खण्ड के प्रयोजनों के लिए-

- (क) "स्थानीय निधि" से किसी पंचायत क्षेत्र के संबंध में, लोक कृत्यों का निर्वहन करने के लिए स्थापित स्थानीय स्वशासन के किसी प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन और जिसमें किसी कर, शुल्क, पथकर, उपकर या फीस, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, के उद्ग्रहण, संग्रहण और विनियोजन करने की, शक्तियां विधि द्वारा निहित हों, कोई निधि अभिप्रेत है;
- (ख) "नगरपालिका निधि" से किसी महानगर क्षेत्र या नगरपालिका क्षेत्र के संबंध में, लोक कृत्यों का निर्वहन करने के लिए स्थापित स्थानीय स्वशासन के किसी प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन और जिसमें किसी कर, शुल्क, पथकर, उपकर या फीस, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, का उद्ग्रहण, संग्रहण

और विनियोजन करने की, शक्तियां विधि द्वारा निहित हों, कोई निधि अभिप्रेत है;"; और

(iii) विद्यमान खण्ड (116) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (117) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(116क) "विशिष्ट पहचान चिहनांकन" से धारा 148क की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट विशिष्ट पहचान चिहनांकन अभिप्रेत है और इसमें डिजिटल मुहर, डिजिटल चिहन या उसी प्रकार का अन्य चिहनांकन, जो विशिष्ट, सुरक्षित और नहीं हटाया जा सकने योग्य हो, भी सिम्मिलित है;"।

- 3. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 12 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 12 की विद्यमान उप-धारा (4) हटायी जायेगी।
- 4. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 13 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 13 की विद्यमान उप-धारा (4) हटायी जायेगी।
- 5. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 20 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 20 में, 1 अप्रेल, 2025 से,-
 - (i) उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "इस अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 13) की धारा 5

- की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (ii) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "इस अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 13) की धारा 5 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन" प्रतिस्थापित की जायेगी।"।
- 6. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 34 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (2) के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में कोई कमी अनुज्ञात नहीं की जायेगी, यदि,-

- (i) जहां ऐसा प्राप्तिकर्ता कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है, वहां इनपुट कर प्रत्यय को ऐसे किसी जमा पत्र के कारण से हुआ माना जा सकता है, यदि प्राप्तिकर्ता द्वारा उसका उपभोग कर लिया गया हो और उसका प्रतिलोम नहीं किया गया हो; या
- (ii) अन्य दशाओं में, ऐसे प्रदाय पर कर का भार किसी अन्य व्यक्ति पर डाल दिया गया है।"।
- 7. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 38 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 38 में,-
- (i) उप-धारा (1) में, विद्यमान शब्द "स्वतःजनित" हटाया जायेगा।
 - (ii) उप-धारा (2) में,-

- (क) विद्यमान अभिव्यक्ति "के अधीन स्वत:जनित" के स्थान पर अभिव्यक्ति "में निर्दिष्ट" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (ख) खण्ड (क) में, विद्यमान शब्द "और" हटाया जायेगा;
- (ग) खण्ड (ख) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "ब्यौरों के मद्दे"के स्थान पर अभिव्यक्ति "ब्यौरों के कारणों सहित"प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (घ) इस प्रकार संशोधित खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(ग) ऐसे अन्य ब्यौरे, जो विहित किये जायें।"।

- 8. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 39 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "और ऐसे समय के भीतर-भीतर, जो विहित किया जाये," के स्थान पर अभिव्यक्ति ", ऐसे समय के भीतर-भीतर और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किये जायें," प्रतिस्थापित की जायेगी।
- 9. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 107 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (6) के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-

"परन्तु किसी कर की मांग को अंतर्वलित किए बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश की दशा में, ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक फाइल नहीं की जायेगी, जब तक अपीलकर्ता द्वारा, उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि का, संदाय नहीं कर दिया गया हो।"। 10. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 112 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 112 की उप-धारा (8) में, अंत में आये विद्यमान विराम चिहन "।" के स्थान पर विराम चिहन ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित उप-धारा (8) के पश्चात्, निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु किसी कर की मांग को अंतर्वलित किए बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश की दशा में, ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक फाइल नहीं की जायेगी, जब तक कि अपीलकर्ता द्वारा, धारा 107 की उप-धारा (6) के परन्तुक के अधीन संदेय रकम के अतिरिक्त, उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि, का संदाय नहीं कर दिया गया हो।"।

11. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की नई धारा 122ख का अंतःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 122क के पश्चात् और विद्यमान धारा 123 से पूर्व, निम्नलिखित नई धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"122ख. खोज और अनुसरण क्रियाविधि के अनुपालन में असफल रहने पर शास्ति.- इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां धारा 148क की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उक्त धारा के उपबंधों के उल्लंघन में कृत्य करता है, तो वह अध्याय 15 के या इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किसी शास्ति के अतिरिक्त, एक लाख रूपये या ऐसे माल पर संदेय कर के दस प्रतिशत के बराबर रकम, जो भी अधिक हो, की शास्ति का संदाय करने के लिये दायी होगा।"।

12. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की नई धारा 148क का अंत:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 148 के पश्चात् और विद्यमान धारा 149 से पूर्व, निम्नलिखित नई धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"148क. कतिपय माल के लिए खोज और अनुसरण क्रियाविधि.- (1) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा,-

(क) माल;

(ख) व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग, जो ऐसे माल को कब्जे में रखते हैं या उसमें व्यवहार करते हैं,

को, जिन पर इस धारा के उपबंध लागू, होंगे, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

- (2) सरकार, उप-धारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट माल के संबंध में,-
 - (क) ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से, जो विहित किये जायें, विशिष्ट पहचान चिहनांकन चिपकाने के लिए और इलेक्ट्रानिक भंडारण तथा इसमें अंतर्विष्ट सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए, किसी प्रणाली का उपबंध कर सकेगी: और
 - (ख) ऐसे माल के लिए विशिष्ट पहचान चिहनांकन को, उसमें अभिलिखित की जाने वाली सूचना सहित, विहित कर सकेगी।
 - (3) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति,-
 - (क) उक्त माल या उसके पैकेजों पर, ऐसी सूचना को अंतर्विष्ट करते हुए और ऐसी रीति से, एक विशिष्ट पहचान चिह्नांकन चिपकायेगा;
 - (ख) ऐसे समय के भीतर, ऐसी सूचना और ब्यौरे प्रस्तुत करेगा तथा ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, ऐसे अभिलेखों या दस्तावेजों का संधारण करेगा:

- (ग) ऐसे माल के विनिर्माण के कारबार के स्थान में संस्थापित मशीनरी के ब्यौरे, जिसमें पहचान, क्षमता, प्रचालन की अवधि और अन्य ब्यौरे या सूचना भी सम्मिलित है, ऐसे समय के भीतर-भीतर और ऐसे प्ररूप में ओर ऐसी रीति से प्रस्तुत करेगा;
- (घ) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट प्रणाली के संबंध में, ऐसी रकम का संदाय करेगा,

जो विहित की जाये।"।

- 13. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की अनुसूची 3 का संशोधन.- मूल अधिनियम की अनुसूची 3 में,-
- (i) पैरा 8 में, विद्यमान खण्ड (क) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ख) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अंतःस्थापित किया जायेगा और 1 जुलाई, 2017 से अंतःस्थापित किया गया समझा जायेगा, अर्थातः-
 - "(कक) किसी व्यक्ति को या घरेलू टैरिफ क्षेत्र को निर्यात के लिए निकासी से पूर्व विशेष आर्थिक जोन में या किसी मुक्त व्यापार भांडागार जोन में भांडागारित माल का प्रदाय;";
- (ii) स्पष्टीकरण 2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पैरा 8" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति, "के प्रयोजनों" से पूर्व, अभिव्यक्ति "के खण्ड (क)" अंतःस्थापित की जायेगी और 1 जुलाई, 2017 से अंतःस्थापित की गयी समझी जायेगी।
- (iii) इस प्रकार संशोधित स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्, निम्नितिखित नया स्पष्टीकरण 3 अंतःस्थापित किया जायेगा और 1 जुलाई, 2017 से अंतःस्थापित किया गया समझा जायेगा, अर्थात्ः-

"स्पष्टीकरण 3.- पैरा 8 के खण्ड (कक) के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्तियों "विशेष आर्थिक जोन", "मुक्त व्यापार भांडागार जोन" और "स्वदेशी टैरिफ क्षेत्र" के वही अर्थ होंगे, जो उन्हें क्रमशः विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 28) की धारा 2 में समनुदेशित किये गये हैं।"।

14. संगृहीत कर का प्रतिदाय न किया जाना.- समस्त ऐसे संगृहीत करों का कोई प्रतिदाय नहीं किया जायेगा, जो इस प्रकार संगृहीत नहीं किये गये होते, यदि धारा 13 समस्त तात्विक समयों पर प्रवृत्त हुई होती।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के राज्य के भीतर प्रदाय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए उपबंध करने की दृष्टि से राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अधिनियमित किया गया था।

जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक की सिफारिश पर, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में विभिन्न संशोधन किये गये थे। ये वित्त अधिनियम, 2025 (2025 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 7) के माध्यम से अधिनियमित किये गये थे। जिन्हें माननीय राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात् 29 मार्च, 2025 को राजपत्र में प्रकाशित किया जा चुका है।

चूंकि, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम तथा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम के उपबंध समान हैं। तदनुसार, जीएसटी विधि के विनिश्चय और लागू होने में एकरूपता बनाए रखने के लिए, राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में तद्नुरूप संशोधन किया जाना अपेक्षित है। प्रस्तावित राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025, अन्य बातों के साथ-साथ, वित्त अधिनियम, 2025 (2025 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 7) के माध्यम से संशोधित, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अनुसार संशोधनों का उपबंध करता है।

प्रस्तावित राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है, अर्थात्:-

विधेयक का खण्ड 2 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 2 को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जो परिभाषाओं से संबंधित है।

उक्त धारा 2 के खण्ड (61) में "इनपुट सेवा वितरक" की परिभाषा को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे अंतरराज्यीय प्रदायों के संबंध में इनपुट सेवा वितरक द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का वितरण स्पष्टतया किया जा सके, जिस पर इनपुट सेवा वितरक की परिभाषा में एकीकृत माल और सेवा कर की धारा 5 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4) के प्रति निर्देश को अंतःस्थापित करके प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर संदत्त किया गया हो। यह संशोधन 1 अप्रेल, 2025 से प्रभावी होगा।

इसके अतिरिक्त धारा 2 के खण्ड (69) का उप-खण्ड (ग) संशोधित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे कि पद "नगरपालिका या स्थानीय निधि" के स्थान पर पद "नगरपालिका निधि या स्थानीय निधि" प्रतिस्थापित किये जा सके और उक्त उप-खण्ड के पश्चात् एक स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जा सके, जिससे उक्त खण्ड के अधीन "स्थानीय प्राधिकारी" की परिभाषा में प्रयुक्त पदों "स्थानीय निधि" और "नगरपालिका निधि" की परिभाषाओं का उपबंध करके उक्त पदों की परिधि को स्पष्ट किया जा सके।

धारा 2 में एक नया खण्ड (116क) अंतःस्थापित किया जाना भी प्रस्तावित है, जिससे कि खोज और अनुसरण क्रियाविधि के कार्यान्वयन हेतु एक विशिष्ट, सुरक्षित और नहीं हटाया जा सकने योग्य चिहन को अर्थ देने के लिए, अभिव्यक्ति "विशिष्ट पहचान चिहनांकन" को परिभाषित किया जा सके।

विधेयक का खण्ड 3 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (4) को हटाये जाने के लिए ईप्सित है, जिससे कि वाउचरों में संव्यवहार के संबंध में प्रदाय के समय के लिए उपबंध को हटाया जा सके, चूंकि यह न तो माल का प्रदाय है और न ही सेवाओं का प्रदाय है।

विधेयक का खण्ड 4 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) को हटाये जाने के लिए ईप्सित है, जिससे कि वाउचरों में संव्यवहार के संबंध में प्रदाय के समय के लिए उपबंध को हटाया जा सके, चूंकि यह न तो माल का प्रदाय है और न ही सेवाओं का प्रदाय है।

विधेयक का खण्ड 5 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (1) को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे कि, ऐसे अंतरराज्यीय प्रदाय जिन पर उक्त उप-धारा में एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4) के प्रति निर्देश को अंतःस्थापित करके, प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर संदत्त किया गया हो, के संबंध में इनपुट सेवा वितरक द्वारा इनपुट कर प्रत्यय के वितरण के लिए स्पष्ट रूप से उपबंध किया जा सके।

इसके अतिरिक्त यह उक्त धारा की उप-धारा (2) को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे कि ऐसे अंतरराज्यीय प्रदाय जिन पर उक्त उप-धारा में एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4) के प्रति निर्देश को अंतःस्थापित करके, प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर संदत्त किया गया हो, के संबंध में इनपुट सेवा वितरक द्वारा इनपुट कर प्रत्यय के वितरण के लिए स्पष्ट रूप से उपबंध किया जा सके। यह संशोधन 1 अप्रेल, 2025 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खण्ड 6 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (2) के परन्तुक को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे कि उक्त जमा पत्र के संबंध में प्रदायकर्ता के कर दायित्व को कम करने के प्रयोजन के लिए, रजिस्ट्रीकृत प्राप्तिकर्ता द्वारा, यदि उपभोग कर लिया गया है, जमा पत्र के संबंध में तत्संबंधी इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिलोम की अपेक्षा के लिए स्पष्ट रूप से उपबंध किया जा सके।

इसके अतिरिक्त यह खण्ड उक्त परन्तुक में ऐसी शर्त को भी हटाने के लिए ईप्सित है, जिसमें उक्त जमा पत्र के संबंध में प्रदायकर्ता के कर दायित्व को कम करने के प्रयोजन के लिए प्रदाय पर ब्याज का भार नहीं डाला गया है।

विधेयक का खण्ड 7, उक्त उप-धारा में इनपुट कर प्रत्यय के विवरण के संबंध में अभिव्यक्ति "स्वतःजनित" को हटाने के लिए राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (1) को संशोधित किए जाने के लिए ईप्सित है।

इसके अतिरिक्त यह उक्त उप-धारा में इनपुट कर प्रत्यय के विवरण के संबंध में अभिव्यक्ति "के अधीन स्वतःजनित विवरण" को हटाकर उक्त धारा की उप-धारा (2) को संशोधित करने के लिए और उक्त उप-धारा के खण्ड (ख) में, अभिव्यक्ति "ब्यौरों के मद्दे" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ब्यौरों के कारणों सहित" को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है, जिससे कि उक्त उप-धारा को ऐसे अन्य मामले जहां इनपुट

कर प्रत्यय अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन करदाता को उपलब्ध नहीं है, को समाविष्ट करने के लिए समावेशी बनाया जा सके।

इसके अतिरिक्त यह खण्ड उक्त उप-धारा में, इनपुट कर प्रत्यय के विवरण में उपलब्ध कराए जाने वाले अन्य ब्यौरों को विहित करने के लिए एक सामर्थ्यकारी खण्ड का उपबंध करने के लिए एक नया खण्ड (ग) जोड़ता है।

विधेयक का खण्ड 8 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (1) को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे कि उक्त उप-धारा के अधीन विवरणी फाइल करने के लिए शर्तों और निर्वधनों को विहित करने के लिए एक सामर्थ्यकारी खण्ड का उपबंध किया जा सके।

विधेयक का खण्ड 9 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (6) के परन्तुक को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है, जिससे ऐसे आदेश, जिसमें किसी कर की मांग को अंतर्वलित किए बिना शास्ति की मांग अंतर्वलित है, के विरुद्ध किसी अपील प्राधिकारी के समक्ष कोई अपील फाइल करने के लिए शास्ति की रकम के दस प्रतिशत के पूर्व निक्षेप की अपेक्षा के लिए उपबंध किया जा सके।

विधेयक का खण्ड 10 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 112 की उप-धारा (8) में एक परन्तुक को जोड़ने के लिए ईप्सित है, जिससे ऐसे आदेश जिसमें किसी कर की मांग को अंतर्वलित किए बिना शास्ति की मांग अंतर्वलित है, के विरुद्ध किसी अपील अधिकरण के समक्ष कोई अपील फाइल करने के लिए शास्ति की रकम के दस प्रतिशत के पूर्व निक्षेप की अपेक्षा के लिए उपबंध किया जा सके। विधेयक का खण्ड 11 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम में एक नई धारा 122ख, अंतःस्थापित करने के लिए ईप्सित है, जिससे खोज और अनुसरण क्रियाविधि से संबंधित उपबंध के उल्लंघन के लिए दाण्डिक उपबंधों का उपबंध किया जा सके।

विधेयक का खण्ड 12 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम में एक नई धारा 148क अंतःस्थापित करने के लिए ईप्सित है, जिससे कि विनिर्दिष्ट वस्तुओं के प्रदाय की प्रभावी मानिटरिंग और नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए खोज और अनुसरण क्रियाविधि के कार्यान्वयन हेतु एक सामर्थ्यकारी उपबंध का उपबंध किया जा सके।

विधेयक का खण्ड 13 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम की अनुसूची 3 के पैरा 8 में एक नया खण्ड (कक) अंतःस्थापित करने के लिए ईप्सित है, जिससे यह विनिर्दिष्ट किया जा सके कि किसी व्यक्ति को या घरेलू टैरिफ क्षेत्र को निर्यात के लिए निकासी से पूर्व विशेष आर्थिक जोन में या किसी मुक्त व्यापार भांडागार जोन में भांडागारित माल के प्रदाय को न तो माल के प्रदाय के रूप में और न ही सेवाओं के प्रदाय के रूप में माना जाएगा।

इसके अतिरिक्त यह उक्त अनुसूची के स्पष्टीकरण 2 को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि उक्त स्पष्टीकरण उक्त अनुसूची के पैरा 8 के खण्ड (क) के संबंध में लागू होगा।

यह खण्ड उक्त अनुसूची में स्पष्टीकरण 3 अंतःस्थापित करने के लिए भी ईप्सित है, जिससे उक्त अनुसूची के पैरा 8 में प्रस्तावित खण्ड (कक) के प्रयोजन के लिए "विशेष आर्थिक जोन", "मुक्त व्यापार भांडागार जोन" और "स्वदेशी टैरिफ क्षेत्र" को परिभाषित किया जा सके।

यह संशोधन 1 ज्लाई, 2017 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खण्ड 14 यह स्पष्ट करने के लिए ईप्सित है कि उपरोक्त क्रियाकलापों या संव्यवहारों के संबंध में पहले ही संदत्त कर का कोई प्रतिदाय उपलब्ध नहीं होगा।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है। अतः विधेयक प्रस्तुत है।

> भजन लाल शर्मा, प्रभारी मंत्री।

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के अधीन माननीय राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

(प्रतिलिपि: संख्या प. 2(20) विधि/2/2025 जयपुर, दिनांक 31 अगस्त, 2025 प्रेषक: भजन लाल शर्मा, प्रभारी मंत्री, प्रेषिति: प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के प्रसंग में, मैं, राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किये जाने और विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूं।

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 में राजस्थान की संचित निधि से कोई आवर्ती या अनावर्ती व्यय अंतर्वलित नहीं है।

> भजन लाल शर्मा, प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 7 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 38 की उप-धारा (2) को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे राज्य सरकार को, नियमों द्वारा विवरण में अन्य ब्यौरे उपलब्ध कराए जाने का उपबंध करने के लिए सशक्त किया जा सके।

विधेयक का खण्ड 12, राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में, कितपय माल के लिए खोज और अनुसरण क्रियाविधि से संबंधित एक नयी धारा 148क अंतःस्थापित करने के लिए ईप्सित है। उक्त धारा 148क की उप-धारा (2) ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से, जिनको ऐसी प्रणाली प्रदान की जाए, विशिष्ट पहचान चिहनांकन चिपकाने में और इलेक्ट्रानिक भंडारण और सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए, राज्य सरकार को, नियमों द्वारा किसी प्रणाली का उपबंध करने के लिए, सशक्त करने के लिए ईप्सित है।

इसके अतिरिक्त यह ऐसे माल के लिए किसी विशिष्ट पहचान चिहनांकन, जिसके अंतर्गत उसमें अभिलिखित की जाने वाली जानकारी सिम्मिलित है का, राज्य सरकार को, नियमों द्वारा, उपबंध करने के लिए स्थाक्त करने के लिए ईप्सित है। उक्त धारा 148क की उप-धारा (3), खण्ड (क) के अधीन माल और पैकेजों पर ऐसी सूचना को अंतर्विष्ट करते हुए और ऐसी रीति से, कोई विशिष्ट पहचान चिहनांकन चिपकाने के लिए, खण्ड (ख) के अधीन ऐसी जानकारी और ब्यौरे, ऐसे प्ररूप में और रीति से, ऐसे समय के भीतर-भीतर, प्रस्तुत करने के लिए और अभिलेखों या दस्तावेजों का अनुरक्षण करने के लिए, खण्ड (ग) के अधीन ऐसे समय के भीतर-भीतर और ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति से, जिसमें अन्य ब्यौरे प्रस्तुत किए जायेंगे और उक्त धारा की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन संदत्त की जाने वाली रकम का नियमों द्वारा उपबंध करके राज्य सरकार को, को सशक्त करने के लिए ईप्सित है।

ऐसे मामले, जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और ब्यौरों से संबंधित मामले हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है। अतः, विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।

> भजन लाल शर्मा, प्रभारी मंत्री।

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

- 2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (1) 社 (60) XX XX XX XX XX
- (61) "इनपुट सेवा वितरक" से माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायकर्ता का कार्यालय अभिप्रेत है, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे, जिसमें धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन कर के लिए दायी सेवाओं के संबंध में बीजक सम्मिलत हैं या धारा 25 में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के लिए या उनकी ओर से कर बीजक प्राप्त करता है और धारा 20 में उपबंधित रीति से ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय के वितरण के लिए दायी है;
 - (62) 社 (68) XX XX XX XX XX
 - (69) "स्थानीय प्राधिकारी" से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं-
 - (क) से (ख) XX XX XX XX XX
- (ग) कोई नगरपालिका सिमिति, कोई जिला परिषद्, कोई जिला बोर्ड और कोई अन्य प्राधिकारी, जो नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंध करने का विधिक हकदार है या जिसे केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका या स्थानीय निधि का नियंत्रण या प्रबंध सौंपा गया है;

- - 12. माल के प्रदाय का समय.- (1) से (3) XX XX XX
- (4) किसी प्रदायकर्ता द्वारा वाऊचरों के प्रदाय की दशा में प्रदाय का समय,-
 - (क) वाउचर जारी करने की तारीख होगा, यदि प्रदाय उस बिंदु पर पहचान योग्य है; या
 - (ख) अन्य सभी मामलों में, वाउचर के मोचन की तारीख होगा।
 - (5) 社 (6) XX XX XX XX XX XX
 - 13. सेवाओं के प्रदाय का समय.- (1) से (3) XX XX
- (4) किसी प्रदायकर्ता द्वारा वाऊचरों के प्रदाय की दशा में प्रदाय का समय-
 - (क) वाउचर जारी करने की तारीख होगा, यदि प्रदाय उस बिंदु पर पहचान योग्य है; या
 - (ख) अन्य सभी मामलों में, वाउचर के मोचन की तारीख होगा।

- 20. इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति.- (1) माल या सेवाओं या दोनों के प्रदायकर्ता का कोई कार्यालय, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे कर बीजक प्राप्त करता है, जिसमें धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन कर के लिए दायी सेवाओं के संबंध में बीजक सम्मिलित है, धारा 25 में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के लिए उनकी ओर से बीजक प्राप्त करता है, से धारा 24 के खण्ड (viii) के अधीन इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित होगा और वह ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का वितरण करेगा।
- (2) इनपुट सेवा वितरक, उसके द्वारा प्राप्त बीजकों पर राज्य कर प्रत्यय या प्रभारित एकीकृत कर का, जिसमें धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन, उसी राज्य में सुभिन्न व्यक्ति द्वारा संदत्त कर उदग्रहण के अधीन सेवाओं के संबंध में राज्य या एकीकृत कर के प्रत्यय को उक्त इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकृत सम्मिलित करते हुए, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर तथा ऐसे निर्वधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जायें, वितरण करेगा।
- XX
 <t
- (2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कोई जमा पत्र जारी करता है। ऐसे जमा पत्र के ब्यौरे उस मास की विवरणी में घोषित करेगा जिसके दौरान ऐसा जमा पत्र जारी किया गया है परन्तु उस वित्तीय वर्ष जिसमें ऐसा प्रदाय किया गया था, के अंत के पश्चात् सितंबर मास से अपश्चात् या सुसंगत

वार्षिक विवरणी फाइल करने की तारीख, जो भी पहले हो, तथा कर दायित्व ऐसी रीति जो विहित की जाए, में समायोजित किया जायेगा:

परन्तु यदि ऐसे प्रदाय पर कर और ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति पर डाल दिया गया है तो प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में कोई कमी अन्ज्ञात नहीं की जायेगी।

- 38. आवक प्रदाय और इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों की संसूचना.- (1) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा धारा 37 की उप-धारा (1) के अधीन दिये गये जावक प्रदायों और ऐसे अन्य प्रदायों, जो विहित किये जायें, के ब्यौरे और इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए स्वतःजनित विवरण ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, ऐसे समय के भीतर-भीतर और ऐसी शर्तों और निर्वंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किये जायें, ऐसे प्रदायों के प्राप्तिकर्ताओं को इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध करवाया जायेगा।
- (2) उप-धारा (1) के अधीन स्वतःजनित विवरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा-
 - (क) आवक प्रदायों के ब्यौरे, जिनके संबंध में इनपुट कर का प्रत्यय प्राप्तिकर्ता को उपलब्ध हो सके; और
 - (ख) प्रदायों के ब्यौरे, जिनके संबंध में धारा 37 की उप-धारा (1) के अधीन दिये जाने वाले उक्त प्रदायों के ब्यौरों के मद्दे, प्राप्तिकर्ता द्वारा या तो पूर्णतः या भागतः ऐसे प्रत्यय का उपभोग नहीं किया जा सके,-

XX

39. विवरणियां देना.- (1) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलैंडर मास या उसके भाग के लिए माल या सेवाओं या दोनों के आवक और जावक प्रदाय, प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर, संदत्त कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों की, ऐसे प्ररूप में और रीति से और ऐसे समय के भीतर-भीतर, जो विहित किया जाये, इलेक्ट्रानिक रूप में विवरणी देगा:

परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे कतिपय वर्ग को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के, जो उसमें विनिर्दिष्ट किये जायें, अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए विवरणी देगा।

- 107. अपील प्राधिकारी को अपील.- (1) से (5) XX XX XX (6) उप-धारा (1) के अधीन कोई अपील तब तक फाइल नहीं की जायेगी जब तक कि अपीलकर्ता ने-
 - (क) आक्षेपित आदेश से उद्भूत कर, ब्याज, जुर्माना, फीस और शास्ति की रकम को ऐसे भाग का पूर्ण रूप से संदाय नहीं किया हो जैसा उसके द्वारा स्वीकारा जाए; और
 - (ख) उक्त आदेश, जिसके संबंध में अपील फाइल की गयी है, से उद्भूत विवाद में कर की शेष रकम के दस प्रतिशत के बराबर राशि का, अधिकतम पच्चीस करोड़ रुपए के अध्यधीन रहते हुए, संदाय नहीं किया हो;

परन्तु धारा 129 की उप-धारा (3) के अधीन, किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक फाइल नहीं की जायेगी, जब तक कि अपीलकर्ता द्वारा, शास्ति के पच्चीस प्रतिशत के बराबर राशि का, संदाय नहीं कर दिया गया हो।

(7) 社 (16) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

- 112. अपील अधिकरण को अपील.- (1) से (7) XX XX
- (8) उप-धारा (1) के अधीन कोई अपील, तब तक फाइल नहीं की जायेगी जब तक अपीलार्थी ने-
 - (क) कर, ब्याज, जुर्माना, फीस और आक्षेपित आदेश से उत्पन्न शास्ति, जैसी उसके द्वारा स्वीकार की गयी हो, की रकम के ऐसे भाग को पूर्ण रूप से संदत्त न कर दिया हो; और
 - (ख) धारा 107 की उप-धारा (6) के अधीन संदत्त रकम के अतिरिक्त, उक्त आदेश, जिसके संबंध में अपील फाइल की गयी है, से उत्पन्न विवादित कर की शेष रकम के बीस प्रतिशत के बराबर राशि अधिकतम पचास करोड़ रुपए के अध्यधीन रहते हुए, संदत्त न कर दी गयी हो।
 - (9) 社 (10) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

अनुसूची 3 [धारा 7 देखें]

ऐसे क्रियाकलाप या संव्यवहार जिन्हें न तो माल का प्रदाय और न ही सेवाओं का प्रदाय माना जायेगा

- 1. से 7. XX XX XX XX XX XX XX XX
- 8. (क) घरेलू उपभोग के लिए अनुमित प्रदान किये जाने से पूर्व किसी ट्यक्ति को भांडागारित माल का प्रदाय।
- (ख) परेषिति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, भारत से बाहर स्थित आरम्भ पत्तन से माल के प्रेषण किये जाने के पश्चात् किंतु घरेलू उपभोग के लिए अनुमति दिये जाने से पूर्व माल पर हक के दस्तावेजों के पृष्ठांकन द्वारा, माल का प्रदाय।

9. 社 10. XX XX XX XX XX XX XX XX

स्पष्टीकरण 2.- पैरा 8 के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "भांडागारित माल" का वही अर्थ होगा, जो उसको सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 52) में समनुदेशित किया गया है।

XX XX XX XX XX XX

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX (SECOND AMENDMENT) BILL, 2025

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

- 1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Goods and Services Tax (Second Amendment) Act, 2025.
- (2) Section 2(i) and section 5 shall be deemed to have been effective from 1st day of April, 2025.
- (3) Save as otherwise provided, the provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

- 2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 2 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), hereinafter referred to as the principal Act,-
- (i) in clause (61), after the existing expression "section 9" and before the existing punctuation mark ",", the expression "of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of section 5 of

the Integrated Goods and Services Tax Act,2017 (Central Act No. 13 of 2017)" shall be inserted with effect from the 1st day of April, 2025;

- (ii) in clause (69),-
 - (a) in sub-clause (c), after the existing expression "management of a municipal" and before the existing expression "or local fund", the expression "fund" shall be inserted;
 - (b) after the existing sub-clause (c) and before the existing sub-clause (d), the following new Explanation shall be inserted, namely:-

"Explanation.- For the purposes of this subclause-

- (a) "local fund" means any fund under the control or management of an authority of a local self-government established for discharging civic functions in relation to a Panchayat area and vested by law with the powers to levy, collect and appropriate any tax, duty, toll, cess or fee, by whatever name called;
- (b) "municipal fund" means any fund under the control or management of an authority of a local self-government established for discharging civic functions in relation to a Metropolitan area or Municipal area and vested by law with the powers to levy, collect and appropriate any tax, duty, toll, cessor fee, by whatever name called;"; and
- (iii) after the existing clause (116) and before the existing clause (117), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(116A) "unique identification marking" means the unique identification marking referred

to in clause (b) of sub-section (2) of section 148A and includes a digital stamp, digital mark or any other similar marking, which is unique, secure and non-removable;".

- 3. Amendment of section 12, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- The existing sub-section (4) of section 12 of the principal Act, shall be deleted.
- 4. Amendment of section 13, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- The existing sub-section (4) of section 13 of the principal Act, shall be deleted.
- 5. Amendment of section 20, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 20 of the principal Act, with effect from the 1st day of April, 2025,-
 - (i) in sub-section (1), after the existing expression "section 9" and before the existing punctuation mark ",", the expression "of this Act or under subsection (3) or sub-section (4) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act No. 13 of 2017)" shall be inserted;
 - (ii) in sub-section (2), after the existing expression "section 9" and before the existing expression "paid by a distinct person", the expression "of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017(Central Act No. 13 of 2017)," shall be inserted.
- 6. Amendment of section 34, Rajasthan Act No. 9 of 2017.-The existing proviso to sub-section (2) of section 34 of the principal Act, shall be substituted, namely:-

"Provided that no reduction in output tax liability of the supplier shall be permitted, if the-

(i) input tax credit as is attributable to such a

credit note, if availed, has not been reversed by the recipient, where such recipient is a registered person; or

- (ii) incidence of tax on such supply has been passed on to any other person, in other cases.".
- 7. Amendment of section 38, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 38 of the principal Act,-
- (i) in sub-section (1), for the existing expression "an autogenerated statement", the expression "a statement" shall be substituted:
 - (ii) in sub-section (2),-
 - (a) for the existing expression "auto-generated statement under", the expression "statement referred in" shall be substituted;
 - (b) in clause (a), the existing word "and" shall be deleted;
 - (c) in clause (b), after the existing expression "by the recipient," and before the existing expression "on account of", the word "including" shall be inserted;
 - (d) after clause (b) so amended, the following new clause shall be added, namely:-
 - "(c) such other details as may be prescribed.".
- 8. Amendment of section 39, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (1) of section 39 of the principal Act, for the existing expression "and within such time", the expression "within such time, and subject to such conditions and restrictions" shall be substituted.
- 9. Amendment of section 107, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- The existing proviso to sub-section (6) of section 107 of the principal Act, shall be substituted, namely:-

"Provided that in case of any order demanding penalty without involving demand of any tax, no appeal shall be filed against such order unless a sum equal to ten per cent. of the said penalty has been paid by the appellant.".

10. Amendment of section 112, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (8) of section 112 of the principal Act, for the existing punctuation mark "." appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted and after sub-section (8) so amended, the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided that in case of any order demanding penalty without involving demand of any tax, no appeal shall be filed against such order unless a sum equal to ten per cent. of the said penalty, in addition to the amount payable under the proviso to sub-section (6) of section 107 has been paid by the appellant."

11. Insertion of new section 122B, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- After the existing section 122A and before the existing section 123 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"122B. Penalty for failure to comply with track and trace mechanism.- Notwithstanding anything contained in this Act, where any person referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 148A acts in contravention of the provisions of the said section, he shall, in addition to any penalty under Chapter XV or the provisions of this Chapter, be liable to pay a penalty equal to an amount of one lakh rupees or ten per cent. of the tax payable on such goods, whichever is higher."

12. Insertion of new section 148A, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- After the existing section 148 and before the existing section 149 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"148A. Track and trace mechanism for certain goods.- (1) The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify,-

- (a) the goods;
- (b) persons or class of persons who are in possession or deal with such goods,

to which the provisions of this section shall apply.

- (2) The Government may, in respect of the goods referred to in clause (a) of sub-section (1),-
 - (a) provide a system for enabling affixation of unique identification marking and for electronic storage and access of information contained therein, through such persons, as may be prescribed; and
 - (b) prescribe the unique identification marking for such goods, including the information to be recorded therein.
- (3) The persons referred to in sub-section (1), shall,-
 - (a) affix on the said goods or packages thereof, a unique identification marking, containing such information and in such manner;
 - (b) furnish such information and details within such time and maintain such records or documents, in such form and manner;
 - (c) furnish details of the machinery installed in the place of business of manufacture of such goods, including the identification, capacity, duration of operation and such other details or information, within such time and in such form and manner;

(d) pay such amount in relation to the system referred to in sub-section (2),

as may be prescribed.".

13. Amendment of Schedule III, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In Schedule III to the principal Act,-

- (i) in paragraph 8, after the existing clause (a) and before the existing clause (b), the following new clause shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:-
 - "(aa) Supply of goods warehoused in a Special Economic Zone or in a Free Trade Warehousing Zone to any person before clearance for exports or to the Domestic Tariff Area;";
- (ii) in Explanation 2, after the existing expression "For the purposes of" and before the existing expression "paragraph 8", the expression "clause (a) of" shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017;
- (iii) after Explanation 2 so amended, the following new Explanation 3 shall be inserted and shall be deemed to have been added with effect from the 1st day of July, 2017, namely:-
 - "Explanation 3.- For the purposes of clause (aa) of paragraph 8, the expressions "Special Economic Zone", "Free Trade Warehousing Zone" and "Domestic Tariff Area" shall have the same meanings respectively as assigned to them in section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (Central Act No. 28 of 2005)."
- 14. No refund of tax collected.- No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would not have been so collected, had section 13 been in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 was enacted with a view to make a provision for levy and collection of tax on intra-State supply of goods or services or both by the State Government.

On the recommendation of the GST Council in its 55th Meeting, various amendments to the Central Goods and Services Tax Act, 2017, were carried out. These were enacted through the Finance Act, 2025(Central Act No. 7 of 2025) which has been published in the Official Gazette on 29th March, 2025, after the assent of Hon'ble President.

Since, the provisions of the Central Goods and Services Tax Act and the Rajasthan Goods and Services Tax Act are similar. Accordingly, to maintain uniformity of decision and applicability of the GST Law corresponding amendments are required to be made in the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017. The proposed Rajasthan Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2025, inter alia, provides for the amendments as per Central Goods and Services Tax Act, amended through the Finance Act, 2025 (Central Act No. 7 of 2025).

The proposed Rajasthan Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2025, inter alia, provides for the following, namely:-

Clause 2 of the Bill seeks to amend section 2 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act relating to definitions.

It is proposed to amend the definition of "Input Service Distributor" in clause (61) of said section 2 so as to explicitly provide for distribution of input tax credit by the Input Service Distributor in respect of inter-state supplies, on which tax has to be paid on reverse charge basis, by inserting reference to sub-section (3) and sub-section (4) of section 5 of the Integrated Goods and

Services Tax Act in the definition of Input Service Distributor. This amendment shall take effect from 1st day of April, 2025.

It is further proposed to amend sub-clause (c) of clause (69) of section 2 so as to substitute the term "municipal or local fund" with the terms "municipal fund or local fund" and to insert an Explanation after the said sub-clause, to provide the definitions of the terms "local fund" and "municipal fund" used in the definition of "local authority" under the said clause so as to clarify the scope of the said terms.

It is also proposed to insert a new clause (116A) in section 2 so as to define the expression "unique identification marking" to mean a mark that is unique, secure and non-removable, for implementation of track and trace mechanism.

Clause 3 of the Bill seeks to delete sub-section (4) of section 12 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act so as to remove the provision for time of supply in respect of transaction in vouchers, the same being neither supply of goods nor supply of services.

Clause 4 of the Bill seeks to delete sub-section (4) of section 13 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act so as to remove the provision for time of supply in respect of transaction in vouchers, the same being neither supply of goods nor supply of services.

Clause 5 of the Bill seeks to amend sub-section (1) of section 20 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act so as to explicitly provide for distribution of input tax credit by the Input Service Distributor in respect of inter-State supplies, on which tax has to be paid on reverse charge basis, by inserting a reference to sub-section (3) and sub-section (4) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act in the said sub-section.

It further seeks to amend sub-section (2) of the said section so as to explicitly provide for distribution of input tax credit by the Input Service Distributor in respect of inter-State supplies, on which tax has to be paid on reverse charge basis, by inserting reference to sub-section (3) and sub-section (4) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act in the said sub-section. This amendment shall take effect from 1st day of April, 2025.

Clause 6 of the Bill seeks to amend the proviso to subsection (2) of section 34 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act so as to explicitly provide for the requirement of reversal of corresponding input tax credit in respect of a credit-note, if availed, by the registered recipient, for the purpose of reduction of tax liability of the supplier in respect of the said credit-note.

It further seeks to remove the condition in the said proviso of not having passed the incidence of interest on supply for the purpose of reduction of tax liability of the supplier in respect of the said credit-note.

Clause 7 of the Bill seeks to amend sub-section (1) of section 38 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act to delete the expression "auto-generated" with respect to statement of input tax credit in the said sub-section.

It further seeks to amend sub-section (2) of the said section by deleting the expression "auto-generated" with respect to statement of input tax credit in the said sub-section and inserting the expression "including" after the words "by the recipient," in clause (b) of said sub-section so as to make the said sub-section inclusive to cover other cases where input tax credit is not available to taxpayer under any other provisions of the Act.

It further adds a new clause (c) in the said sub-section to provide for an enabling clause to prescribe other details to be made available in statement of input tax credit.

Clause 8 of the Bill seeks to amend sub-section (1) of section 39 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act so as to

provide for an enabling clause to prescribe conditions and restrictions for filing of return under the said sub-section.

Clause 9 of the Bill seeks to substitute the proviso to subsection (6) of section 107 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act to provide for the requirement of pre-deposit of ten per cent. of the penalty amount for filing an appeal before the Appellate Authority against an order which involves demand of penalty without involving any demand of tax.

Clause 10 of the Bill seeks to add a proviso to sub-section (8) of section 112 of Rajasthan Goods and Services Tax Act to provide for the requirement of pre-deposit of ten per cent. of the penalty amount for filing an appeal before the Appellate Tribunal against an order which involves demand of penalty without involving any demand of tax.

Clause 11 of the Bill seeks to insert a new section 122B in the Rajasthan Goods and Services Tax Act to provide for penal provisions for contraventions of the provision relating to track and trace mechanism.

Clause 12 of the Bill seeks to insert a new section 148A in the Rajasthan Goods and Services Tax Act so as to provide for an enabling provision for implementation of track and trace mechanism for ensuring effective monitoring and control of supply of specified commodities.

Clause 13 of the Bill seeks to insert a new clause (aa) in paragraph 8 of Schedule III of the Rajasthan Goods and Services Tax Act to specify that the supply of goods warehoused in a Special Economic Zone or in a Free Trade Warehousing Zone to any person before clearance for exports or to the Domestic Tariff Area shall be treated neither as supply of goods nor as supply of services.

It further seeks to amend the **Explanation 2** of the said Schedule to clarify that the said Explanation shall be applicable in respect of clause (a) of paragraph 8 of the said Schedule.

It also seeks to insert an **Explanation 3** in the said Schedule to define the expressions "Special Economic Zone", "Free Trade Warehousing Zone" and "Domestic Tariff Area", for the purpose of the proposed clause (aa) in paragraph 8 of said Schedule.

These amendments shall take effect retrospectively with effect from the 1st day of July, 2017.

Clause 14 of the Bill seeks to clarify that no refund of the tax, already paid in respect of the aforesaid activities or transactions, shall be available.

The Bill seeks to achieve the above objectives.

Hence the Bill.

भजन लाल शर्मा, Minister Incharge.

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के अधीन माननीय राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

(प्रतिलिपि: संख्या प. 2(20) विधि/2/2025 जयपुर, दिनांक 31 अगस्त, 2025 प्रेषक: भजन लाल शर्मा, प्रभारी मंत्री, प्रेषिति: प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के प्रसंग में, मैं, राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किये जाने और विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूं।

FINANCIAL MEMORANDUM

The Proposed Rajasthan Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2025 does not involve any recurring or non-recurring expenditure from the Consolidated Fund of Rajasthan.

भजन लाल शर्मा, Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 7 of the Bill seeks to amend sub-section (2) of section 38 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 to empower the State Government to provide by rules other details to be made available in the statement.

Clause 12 of the Bill seeks to insert a new section 148A in the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017, relating to track and trace mechanism for certain goods. Sub-section (2) of the said section 148A seeks to empower the State Government to provide by rules a system for enabling affixation of unique identification marking and for electronic storage and access of information and the person through whom such system may be provided.

It further seeks to empower the State Government to provide by rules the Unique Identification marking for goods including the information to be recorded therein. Sub-section (3) of the said section 148A seeks to empower the State Government to provide by rules, the information to be contained in, and the manner of affixing on the goods and packages a unique identification marking under clause (a), the form and manner and the time for furnishing information and details and maintaining records or documents under clause (b), the time within which and the form and manner in which other details shall be furnished under clause (c) and the amount to be paid under clause (d) of the said sub-section (2).

The matters in respect of which rules may be made and matters of procedure and details and it is not practicable to provide for them in the Bill itself. The delegation of legislative powers is, therefore, of a normal character.

भजन लाल शर्मा, Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX ACT, 2017

(Act No. 9 of 2017)

XX

XX

XX

XX

XX

XX

	2. Definition	sIn this	Act, unle	ss the co	ontext oth	erwise
requires,-						
	(1) to (60)	XX	XX	XX	XX	XX
(61) "Input Service Distributor" means an office of the supplier of goods or services or both which receives tax invoices towards the receipt of input services, including invoices in respect of services liable to tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9, for or on behalf of distinct persons referred to in section 25, and liable to distribute the input tax credit in respect of such invoices in the manner provided in section 20;						
	(62) to (68)	XX	XX	XX	XX	XX
(69) "local authority" means-						
	(a) to	(b) xx	x xx		XX	XX
(c) a Municipal Committee, a ZillaParishad, a District Board, and any other authority legally entitled to or entrusted by the Central Government or any State Government with the control or management of a municipal or local fund;						
	(70) to (120)	XX	XX	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX	<u>C</u>	XX	XX
12. Time of supply of goods (1) to (3) xx xx xx						
(4) In case of supply of vouchers by a supplier, the time of supply shall be-						
	(a) th	e date of	issue of v	oucher,	if the sur	oply is

identifiable at that point; or

 $\mathbf{X}\mathbf{X}$

13. Time of supply of services.- (1) to (3) xx xx

cases.

(5) to (6)

XX

(b) the date of redemption of voucher, in all other

XX

XX

XX

XX

:	(4) In case of supply of vouchers by a supplier, the time of supply shall be-					time of	
	(a) the date of issue of voucher, if the supply is identifiable at that point; or						upply is
		(b) cases.	the date o	f redem	ption of v	voucher, in a	all other
		(5) to (6)	XX	XX	XX	XX	XX
	XX	XX	XX		XX	XX	XX
1 1 1	Distributor (1) Any office of the supplier of goods or services or both which receives tax invoices towards the receipt of input services, including invoices in respect of services liable to tax under subsection (3) or sub-section (4) of section 9, for or on behalf of distinct persons referred to in section 25, shall be required to be registered as Input Service Distributor under clause (viii) of section 24 and shall distribute the input tax credit in respect of such invoices.						of input e to tax or or on shall be er clause
: : : 1	(2) The Input Service Distributor shall distribute the credit of State tax or integrated tax charged on invoices received by him, including the credit of State or integrated tax in respect of services subject to levy of tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9 paid by a distinct person registered in the same State as the said Input Service Distributor, in such manner, within such time and subject to such restrictions and conditions as may be prescribed.						
		(3) xx	X	X	XX	xx	xx
	XX	XX	X	X	XX	XX	XX

34. Credit and debit notes.- (1) xx xx xx xx

(2) Any registered person who issues a credit note in relation to a supply of goods or services or both shall declare the details of such credit note in the return for the month during which such credit note has been issued but not later than the thirtieth day of November following the end of the financial year in which such supply was made, or the date of furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier, and the tax liability shall be adjusted in such manner as may be prescribed:

Provided that no reduction in output tax liability of the supplier shall be permitted, if the incidence of tax and interest on such supply has been passed on to any other person.

	(3) to (4)	XX	XX	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX	XX		XX

- **38.** Communication of details of inward supplies and input tax credit.-(1) The details of outward supplies furnished by the registered persons under sub-section (1) of section 37 and of such other supplies as may be prescribed, and an auto-generated statement containing the details of input tax credit shall be made available electronically to the recipients of such supplies in such form and manner, within such time, and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed.
- (2) The auto-generated statement under sub-section (l) shall consist of -
- (a) details of inward supplies in respect of which credit of input tax may be available to the recipient; and
- (b) details of supplies in respect of which such credit cannot be availed, whether wholly or partly, by the recipient, on account of the details of the said supplies being furnished under sub-section (1) of section 37,-
 - (i) to (vi) xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

39. Furnishing of returns.- (1) Every registered person, other than an Input Service Distributor or a non-resident taxable person or a person paying tax under the provisions of section 10 or section 51 or section 52 shall, for every calendar month or part thereof, furnish, a return, electronically, of inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable, tax paid and such other particulars, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, notify certain class of registered persons who shall furnish a return for every quarter or part thereof, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein.

107. Appeals to Appellate Authority.- (1) to (5) xx xx xx

- (6) No appeal shall be filed under sub-section (1), unless the appellant has paid-
 - (a) in full, such part of the amount of tax, interest, fine, fee and penalty arising from the impugned order, as is admitted by him; and
 - (b) a sum equal to ten per cent. of the remaining amount of tax in dispute arising from the said order, subject to a maximum of twenty crore rupees in relation to which the appeal has been filed:

Provided that no appeal shall be filed against an order under sub-section (3) of section 129, unless a sum equal to twenty-five per cent of the penalty has been paid by the appellant.

(7) to (16)
$$xx xx xx xx xx xx$$

XX XX XX XX XX XX

112. Appeals to Appellate Tribunal.- (1) to (7) xx xx

- (8) No appeal shall be filed under sub-section (1), unless the appellant has paid-
 - (a) in full, such part of the amount of tax, interest, fine, fee and penalty arising from the impugned order, as is admitted by him; and
 - (b) a sum equal to ten per cent. of the remaining amount of tax in dispute, in addition to the amount paid under sub-section (6) of section 107, arising from the said order, subject to a maximum of twenty crore rupees, in relation to which the appeal has been filed.

SCHEDULE III

[See section 7]

ACTIVITIES OR TRANSACTIONS WHICH SHALL BE TREATED NEITHER AS A SUPPLYOF GOODS NOR A SUPPLY OF SERVICES

1. to 7.		XX		XX	XX		X	X	XX
8.	` ′			warehoused ome consump	_	to	any	person	before
(b) Supply of goods by the consignee to any other person, by endorsement of documents of title to the goods, after the goods have been dispatched from the port of origin located outside India but before clearance for home consumption.									
9. to 10).	XX		XX	XX			XX	XX
Explanation 2.—For the purposes of paragraph 8, the expression "warehoused goods" shall have the same meaning as assigned to it in the Customs Act, 1962 (Central Act No. 52 of 1962).									
XX		XX		XX	XX		>	ΚX	XX

Bill No. 16 of 2025

THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX (SECOND AMENDMENT) BILL, 2025

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

	A
	Bill
further to amend the Rajastho	an Goods and Services Tax Act, 2017.
_	
(To be introduced in the	Rajasthan Legislative Assembly)
_	
	BHARAT BHUSHAN SHARMA Principal Secretary.
	i i incipai sceretary.

(Bhajan Lal Sharma, Minister-Incharge)

2025 का विधेयक सं.16

राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

-

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

भारत भूषण शर्मा, प्रमुख सचिव।

(भजन लाल शर्मा, **प्रभारी मंत्री)**